110

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक– /2016/पुर्नाविलोकन

1. जसमंत पुत्र श्री रमले जाटव, उम्र–47वर्ष, व्यवसाय–कृषि
2. केदार पुत्र श्री तुलसी जाटव, उम्र–52वर्ष, व्यवसाय–कृषि
3. वासुदेवा पुत्र श्री करन जाटव, उम्र–45वर्ष, व्यवसाय–कृषि
4. सुरेश पुत्र श्री भग्गू जाटव, उम्र–50वर्ष, व्यवसाय–कृषि

समस्त निवासीगण–ग्राम सेमई तहसील कैलारस जिला मुरैना (म0प्र0)

------आवेदकगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र श्री कल्ला जाटव
2. सीताराम पुत्र कल्ला जटव

निवासीगण–ग्राम सेमई तहसील कैलारस जिला मुरैना (म0प्र0)

3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना (म0प्र0)

------अनवोदगण

पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.09.2015 पारित न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–1371/III/2009

I/D/SOHIL KHAN/Legal/133

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1975–एक / 16 जिला – मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश शासन विरूद्व सरला आदि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 .12 .16	आवेदक अधिवक्ता बृजेन्द्र सिंह धाकड उपस्थित। अनावेदक कमांक–1, 2 की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। अनावेदक 3 शासन की ओर से श्री डी0 के0 शुक्ला उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने तर्क प्रस्तुत किये । उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1371–तीन / 2009 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1975–एक / 2016 के तथ्यों पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1371–तीन / 2009 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 14.09.2015 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 1975–एक / 2016 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1-- नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, समयक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2-- अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती।

3-- कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक अधिवक्ता ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

(एम0 के सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मधप्रदेश
ग्वालियर